मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 13 **02.2017**

क्र. एफ 16-12/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लि. द्वारा रू. 1450 करोड़ के पूंजी निवेश से मण्डीदीप व सतलापुर, जिला रायसेन एवं बुधनी, जिला सीहोर में स्थित इकाईयों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन एवं विस्तार परियोजनाओं को इनमें बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया:-

(1) मे. अनंत स्पीनिंग मिल्स, मण्डीदीप (आधुनिकीकरण/ तकनीकी उन्नयन)-

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 100 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

II. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

III. **ब्याज अनुदान-** टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

IV. **विद्युत शुल्क पर छूट-** नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षो की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

V. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** नवीन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत टेरिफ में रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक रियायत दी जावे।

VI. उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

VII. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

(2) मेसर्स वर्धमान यार्न्स लि., सतलापुर स्थित यूनिट-6 एवं 7 (विस्तार एवं आधुनीकीकृत नवीन स्पिनिंग परियोजना) -

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 100 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

II. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

III. **ब्याज अनुदान-** टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

IV. **विद्युत शुल्क पर छूट-** नवींन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षो की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

V. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** नवीन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत टेरिफ में रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक रियायत दी जावे।

VI. उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

VII. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

(3) मे.वर्धमान फेब्रिक्स, बुदनी (स्पिनिंग मिल, वीविंग एवं फेब्रिक्स प्रोसेसिंग अंतर्गत विस्तार) -

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 100 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन दी जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

II. **ब्याज अनुदान-** टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 7 प्रतिशत की दर से शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

III. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु शर्तो के अध्याधीन दी जावे।

IV. **विद्युत शुल्क पर छूट-** नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षो की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

V. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** नवीन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत टैरिफ में रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक रियायत दी जावे।

VI उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे ।

VII कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

Investment Facilitation Corporation

15 FEB 2017

Inward No. 7112

अन्य सुविधाएं-

1. **प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति-** ग्रुप कम्पनीज की उल्लेखित तीनो परियोजनाओं में मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50 प्रतिशत वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में ग्रुप कम्पनीज को अधिकतम रूपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
2. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति-** परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुदनी जिला सीहोर, औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप जिला रायसेन एवं ग्राम सतलापुर, जिला रायसेन में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लि. अथवा/ और समूह के आधिपत्य की भूमि प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत एवं उक्त भूमि के अतिरिक्त क्रय की गयी अथवा क्रय की जाने वाली नवीन भूमि पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं अन्य प्रभारित की प्रतिपूर्ति वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा की जावे।
3. टेक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी वस्त्र मंत्रालय, भारत शासन के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी71, नवम्बर, 2007 में वर्णित TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी माना जावे।
4. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर, कंपनी की परियोजनाओं को वेट एवं सीएसटी की सहायता समानुपातिक रूप से निरंतर देय होगी। कुल सहायता राशि इकाईयों द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।
5. ग्रुप कम्पनीज की उल्लेखित तीनो परियोजनाओं को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-12/2016/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 13 02.2017**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/परिवहन विभाग, तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन/सीहोर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लि., चंडीगढ़ रोड, लुधियाना-141010, पंजाब।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग